

922

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 511 OF 2023

IN THE MATTER OF:

PRIYANK BHARATI

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

....RESPONDENT(S)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 166 OF 2024

PRIYANK BHARATI

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

....RESPONDENT(S)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 14.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	

<u>2.</u>	COPY OF THE MINUTES OF MEETING DT. 12.12.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1.	
<u>3.</u>	COPIES OF THE PHOTOGRAPHS OF THE ORIGINATED POINT AND THE MAP ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2.	

THROUGH COUNSEL



**BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.**

Bhanwar09jadon09@gmail.com | 9639286572

Date: 19.01.2026

Place: NOIDA



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 511 OF 2023

IN THE MATTER OF:

PRIYANK BHARATI

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

Rahul Bhatnagar

Advocate

UP Bar Council E. N. 3764/20
Ch. No. 16, Zila Bar Building, Meerut
Mob. 9219503050

.....RESPONDENT(S)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 166 OF 2024

PRIYANK BHARATI

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENT(S)

FURTHER REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 IN
COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 14.10.2025 PASSED BY THE
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I Gyan Prakash Srivastava, aged about 55 years S/o Naval Kishore Srivastava, presently posted as Chief Engineer (Ganga), Irrigation and Water Resources Department, State of Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the Deponent in the above captioned matter and am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

 I. BACKGROUND OF THE MATTER


3. That in the present original application, the applicant has raised the issue of encroachment on the flood plain of river Budhi Ganga.

II. PRIOR SUBMISSIONS

4. That it is respectfully submitted that a further progress report dated 13.10.2025 (*Refer @ Judicial Pg No. 789 for ready reference*) on behalf of the Deponent has already been filed before this Hon'ble Tribunal. In the said report, it has been stated that the Director, NIH, Roorkee, vide Letter dated 29.09.2025 (*Refer @ Judicial Pg No. 802 for ready reference*), submitted the final floodplain delineation report of River Budhi Ganga to the Executive



Engineer, Drainage Division-1, Meerut. It was clarified therein that the boundary coordinates are the same as earlier, except for minor corrections made in the maps. It was also informed that the project for demarcation of the floodplain zone in **Muzaffarnagar, Meerut and Hapur districts** has been prepared and the demarcation work is scheduled to be completed by 31st May, 2026. Based on the said delineation report, the Irrigation and Water Resources Department has started the physical demarcation of the floodplain zone on the ground. The work is being carried out in phases, in coordination with the concerned district administrations, and is being done in a scientific and transparent manner in compliance with legal requirements.



The physical demarcation work is proposed to be completed by May, 2026.

5. That the present matter was last listed for hearing on 14.10.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"6. Thus, we require the State to file a further progress report indicating the progress made in the physical demarcation of the flood plain zone of river Budhi Ganga atleast one week before the next date of hearing.

7. Applicant appearing virtually has also raised an issue that origin point of river has not been correctly mentioned in the report dated 13.10.2025. In this regard, he has referred to the map on page no. 528, annexure-10.

8. State authorities are directed to look into this issue and do the needful.”

III. MEETING HELD ON 12.12.2025

6. That it is relevant to state here that the project for physical demarcation of River Budhi Ganga in District Meerut has been approved in the meeting of the Permanent Executive Committee of the Uttar Pradesh State Flood Control Council, held on 12.12.2025 under the chairmanship of the Hon'ble Minister, Water Resources and Flood Control Department. The work is proposed to be undertaken immediately upon receipt of budgetary allocation.

A Copy of the minutes of meeting dt. 12.12.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1**.



IV. ORIGIN OF RIVER

7. That in compliance of the Para 7 of the aforesaid order, it is pertinent to state here that the origin point of the Budhi Ganga river is at the upstream of the syphon constructed at Madhya Ganga Canal near Village Deval in district Muzaffarnagar.

8. That the physical demarcation work of the river budhi ganga will be done from the aforesaid origin point i.e. “*Right Bank (Longitude (E) 78.01101*

and Latitude (N) 29.35449) which is being confirmed from the photographs taken on site and NIH final report.

Copies of the photographs of the originated point and the handmade map have been annexed herewith as ANNEXURE R-2.

V. SOURCE OF WATER

9. That further it is to be noted that Budhi Ganga river is non perennial river which collects rain water in rainy season only from its catchment area. There

is no permanent source of water from which river could fed through out the year.


10. There is a Barrage constructed across the river Ganga in district Bijnor to feed Madhya Ganga Canal system for irrigation purpose. Sometimes in non-monsoon season some water slowly seeps out from the ground downstream of the right afflux constructed upstream of Barrage. This seepage water collects into small streams, which then joins together and begin flowing in Budhi Ganga.

11. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record


17/1/2025
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at MEERUT..... on this 17..... day of January, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



IDENTIFIED

Rahul 17/01/2026

Rahul Bhatnagar

Advocate

UP Bar Council E. N. 3764/20
Ch No. 16, Zila Bar Building, Meerut
Mob. 9219503050

[Signature]
17/1/2026
DEPONENT

Serial No. 09 Coupon No. 1298772
Certified that Shri. Gyan Prakash Shrivastava
identified by Shri. Rahul Bhatnagar
Made this affidavit before me on
at 17/01/2026 AM/PM 11:00 PM

Oath Commissioner Meerut

[Signature]

मा0 मंत्री जी, जलशक्ति की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की 60वीं बैठक, दिनांक: 12.12.2025 का कार्यवृत्त।


दिनांक: 12.12.2025 को उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की 60वीं बैठक मा0 मंत्री जी, जल शक्ति की अध्यक्षता में एवं मा0 राज्य मंत्री, जल शक्ति, उत्तर प्रदेश, की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।


बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण/अधिकारियों द्वारा प्रतिमाग किया गया:-

सर्व श्री:-

1. अनिल गर्ग प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. संदीप कुमार प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अशोक कुमार सिंह प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सोरण सिंह प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (नियोजन/विध्यावल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. डा0 अरविन्द कुमार विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
चौरसिया
6. पंकज सकसेना विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7. अनिल कुमार विशेष सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ।
8. सोमनाथ संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. चिरौजी लाल संयुक्त सचिव, वन विभाग, लखनऊ।
10. दशरथ सिंह अपर संचयकी अधिकारी, लखनऊ।
11. अरविन्द कुमार वर्मा अपर निदेशक नियोजन विभाग, लखनऊ
12. अवधेश कुमार मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (पूर्व) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
13. विकास कुमार सिंह मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
14. संजय त्रिपाठी मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या।
15. आर0के0 जैन मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
16. एच0एन0 सिंह मुख्य अभियन्ता (शारदा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
17. वी0के0 मिश्रा मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्यां0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
18. उपेन्द्र नाथ कुँवर मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
19. के0एम0 कंसल मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अलीगढ़।
20. एस0के0 सिंह मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
21. शरद कुमार सिंह मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।
22. अवधेश कुमार शर्मा मुख्य अभियन्ता, अनु0 एवं नियो0 (बाढ़) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
23. प्रमाकर प्रसाद मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
24. सर्वेश कुमार श्रीवास्तव मुख्य अभियन्ता (वाह्य सहा0 परि0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
25. विष्णु कुमार अग्रवाल मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
26. जी0पी0 श्रीवास्तव मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
27. अम्बुज द्विवेदी मुख्य अभियन्ता (बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झाँसी।
28. राकेश यादव मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
29. दिनेश सिंह मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला।
30. उपेन्द्र सिंह मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
31. रजत अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता अनु0 एवं नियो0 मण्डल-3, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।
32. हरीश चन्द्र यादव अधिशासी अभियन्ता अनु0 एवं नियो0 यूनिट-9, मण्डल-3, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।
33. पृथी सिंह अधिशासी अभियन्ता अनु0 एवं नियो0 यूनिट-8, मण्डल-3, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।

एवं अन्य क्षेत्रीय अधिकारीगण।





प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा मंत्री जी, जल शक्ति एवं उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थाई संचालन समिति के अध्यक्ष एवं भा.0 राज्य मंत्री जी, जल शक्ति का स्वागत किया गया। प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल ससाधन एवं स्थाई संचालन समिति के सदस्यों/अधिकारियों/प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया गया। प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०) के द्वारा समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए निर्देशित किया गया कि जनहित में परियोजनाओं के कार्यों में नियमों, विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानक व विशिष्टियों का पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यों को समयबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया जाए, जिससे जनमानस को परियोजनाओं का समय से लाभ उपलब्ध हो।

उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की 59वीं बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2025 को सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०) के द्वारा कार्य सूची के अनुसार समिति के समक्ष परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण का क्रियान्वयन किया गया।

बैठक में परियोजनाएँ निम्नवत प्रस्तुत की गयी :-

मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर।

- 1- जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित भोजपुर-शाहपुर तटबन्ध के किमी. 6.650 से किमी. 7.100 के मध्य बोल्टर रिवेटमेंट के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। लागत रू० 774.80 लाख।
- 2- जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित करमहना-भोजपुर तटबंध के किमी. 13.650 से किमी. 13.900 के मध्य बोल्टर रिवेटमेंट कार्य की परियोजना। लागत रू० 246.11 लाख।
- 3- जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित बलरामपुर-भड़रिया तटबन्ध के ग्राम कोडरवा के समीप 700 मीटर लम्बाई में बोल्टर रिवेटमेंट कार्य की परियोजना। लागत रू० 668.04 लाख।
- 4- जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम समूह-चौकाकला एवं मधवापुर की सुरक्षा हेतु पंचायत भवन के निकट कटाव निरोधक कार्य की परियोजना। लागत रू० 350.56 लाख।
- 5- जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित बेलहा-चरनगहिया तटबन्ध के किमी. 0.080 से किमी. 0.650 के मध्य बोल्टर रिवेटमेंट कार्य की परियोजना। लागत रू० 567.05 लाख।
कम संख्या: 1 से 5 तक अंकित परियोजनाएँ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयीं। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजनाएँ अनुमोदित की गयीं।
- 6- जनपद बस्ती के अन्तर्गत हरैया तहसील में घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर स्थित लोलपुर-विक्रमजोत तटबंध के सुरक्षार्थ किमी० 1.460 से किमी० 2.600 के मध्य डैम्पनर्स के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रू० 1188.49 लाख।
क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उक्त परियोजना संशोधित लागत रू० 995.50 लाख की समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना अनुमोदित की गयी।
- 7- जनपद बस्ती के अन्तर्गत हरैया तहसील में घाघरा नदी के बायें तट पर स्थित विक्रमजोत-धुसवा तटबंध के किमी० 9.300 से किमी० 9.510 तक रिवेटमेंट निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रू० 395.54 लाख।
- 8- जनपद बस्ती के हरैया तहसील में घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित काशीपुर-दुबौलिया तटबन्ध के कि०मी० 4.700 से 5.250 के मध्य सुरक्षा हेतु परक्यूपाईन डालने के कार्य की परियोजना। लागत रू० 196.21 लाख।
- 9- जनपद बस्ती के हरैया तहसील में घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी० 13.220 से 13.500 एवं काशीपुर-दुबौलिया तटबन्ध के किमी० 0.000 से 0.230 के मध्य सुरक्षा हेतु 10 अदद डैम्पनर्स एवं ऐज क्रेटिंग के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रू० 1238.81 लाख।
- 10- जनपद बस्ती में तहसील हरैया के अन्तर्गत घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 4.400 से किमी० 4.700 के मध्य 280 मीटर की लम्बाई में ग्राम मौजपुर की सुरक्षा हेतु 04 अदद डैम्पनर निर्माण के साथ परक्यूपाईन लगाने के कार्य की परियोजना। लागत रू० 307.67 लाख।

कम संख्या: 7 से 10 तक अंकित परियोजनाएँ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयीं। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजनाएँ अनुमोदित की गयीं।

- 0-2- जनपद-बलरामपुर में बलरामपुर भंडारिका तटबन्ध के गैप के निर्माण, तटबन्ध के सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण कार्य की परियोजना। लागत रू० 26681.62 लाख।
- 0-3- जनपद-बलरामपुर में भेवालाल-दिपवा (एम०एल०टी०डी०) तटबन्ध के (कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.740) के मध्य गैप पर तटबन्ध निर्माण की परियोजना। लागत रू० 3735.63 लाख।

फलड प्लेन जोन की परियोजनाएं:-

- 0-4- जनपद गोण्डा एवं बहराइच में टडी नदी के दोनों किनारे पर कि०मी० 0.000 से कि०मी० 236.580 तक बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण के लिए आर०सी०पी० पिलर के निर्माण की परियोजना। लागत रू० 419.18 लाख।
- 0-5- जनपद मुजफ्फरनगर, भेरठ एवं हापुड के अन्तर्गत बूढी गंगा के बायें एवं दायें किनारे पर पिलर लगाकर बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन करने की परियोजना। लागत रू० 94.20 लाख।
- 0-6- जनपद सहारनपुर एवं शामली में सिधली नदी के किनारे पर फलड प्लेन जोन सीमांकन हेतु सी०सी० पिलर लगाने के कार्य की परियोजना। लागत रू० 38.94 लाख।
- 0-7- कालागढ़ बाँध से जनपद कन्नौज तक रामगंगा नदी के दोनों किनारों पर फलड प्लेन जोन के सीमांकन की परियोजना। लागत रू० 224.95 लाख।
- 0-8- असगरपुर से प्रयागराज तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड के आधार पर यमुना नदी में फलड प्लेन जोन निर्धारण हेतु सीमांकन कार्य की परियोजना। लागत रू० 1535.69 लाख।

कम संख्या: 0-1 से 0-8 तक अंकित परियोजनाएँ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयीं। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजनाएँ अनुमोदित की गयीं।

- 0-9- जनपद जौनपुर में तहसील एवं विकास खण्ड केराकत के अन्तर्गत गोमती नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम समूह भैंसा कोसडे, घोड़दौड़ और कोहीनारे आदि के नदी की कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना। लागत रू० 219.03 लाख।

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा परियोजना समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना निरस्त की गयी।

अन्य मद:-

मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ।

- 1-1- जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम मौरहवा व अन्य ग्राम समूहों की बाढ़ से बचाव हेतु चैनलाइजेशन द्वारा रिवर ट्रेनिंग कार्य की परियोजना। लागत रू० 902.12 लाख।
- 1-2- जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम चेहलवा व अन्य ग्राम समूहों की बाढ़ से बचाव हेतु चैनलाइजेशन द्वारा रिवर ट्रेनिंग कार्य की परियोजना। लागत रू० 974.76 लाख।

मुख्य अभियन्ता (यमुना) ओखला।

- 1-3- जनपद सहारनपुर के तहसील सदर के अन्तर्गत यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित ननियासी-टोडरपुर तट बन्ध के कि०मी० 5.400 से कि०मी० 7.300 के मध्य सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्यों की परियोजना। लागत रू० 577.99 लाख।

कम संख्या: 1-1 से 1-3 तक अंकित परियोजनाएँ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयीं। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजनाएँ अनुमोदित की गयीं।

v ↓

स्थाई संचालन समिति द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. परियोजनाओं को समयबद्धता से पूर्ण करने हेतु टाईम लाइन निर्धारित की जाए तथा परियोजनाओं में टाईम ओवर रन व कारस्ट ओवर रन की रिश्ति उत्पन्न न होने पाये।
2. परियोजना के प्रस्तुतीकरण में ड्राइंग तथा बाढ़ संरचनाएं सांकेतिक है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना के कियान्वयन के समय निर्मित की जाने वाली बाढ़ संरचनाएं, स्टड, स्पेर इत्यादि की दिशा नदी में जल प्रवाह की दिशा से नियंत्रित हो तथा संरचनाएं निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों।
3. नदी में जल की गहराई समय के साथ परिवर्तित होती है तथा अपेक्षाकृत कम जल प्रवाह में शिल्टिंग की प्रवृत्ति होती है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य से पूर्व जल की गहराई एवं विभिन्न मदों की आवश्यकता सुनिश्चित कर ली जाए।
4. ड्रेजिंग की परियोजनाओं में कार्य के कियान्वयन से पूर्व ड्रेज्ड मैटेरियल के डिस्पोजल प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
5. ड्रेजिंग हेतु पाथ का चयन गहन अध्ययन करते हुए सिविल संगठन के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की सहमति से सुनिश्चित किया जाए तथा ड्रेज्ड मैटेरियल के निस्तारण/नीलामी हेतु ससमय नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर-1/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा परियोजनाओं के कियान्वयन में मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण/भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों/उत्तर प्रदेश शासन और विभागों के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. प्राकृतिक सम्पदा भूमि, जल, वायु, वन, वन्य जीव, वनस्पति, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पुरातत्व, संरक्षित परिसम्पत्तियों/परिसरों आदि से सम्बन्धित अधिनियम/शासकीय आदेशों/निर्देशों, मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों तथा सुसंगत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक समस्त स्वीकृतियों/क्लीयरन्स (Clearance)/सहमति स्वयं सम्बन्धित विभाग/संस्था से प्राप्त की जाए।
8. लोक निर्माण विभाग द्वारा नदी पर "पुल निर्माण" में पहुँच मार्ग (approach road) एवं उसके सुरक्षा कार्य, नदी को चैनेलाइज रखने हेतु रिवर ट्रेनिंग कार्य यथा गाईड बंध (guide bund) इत्यादि सहायक संरचनाओं का निर्माण अवश्य किया जाए जो कि "पुल निर्माण" के मूलभूत अवयव हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों से परस्पर समन्वय कर कार्यवाही की जाए।
9. अन्तर्राज्यीय मामलों हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के विद्यमान नदी परिषद (River board) से क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित बाढ़ एवं जलोत्सारण की परियोजनाओं को संज्ञानित कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
10. कार्य से नदी के प्राकृतिक स्वरूप, जल की गुणता, निर्मलता, अविरोधता जलीय जीव जन्तु व वनस्पति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
11. परियोजनाओं के कार्यों के कियान्वयन में निम्न आदेशों/गाईडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(I)- Report regarding "policy and guidelines on mining of soil and sand on the bank of river Ganga and proper utilization/disposal of the dredged material order dated 18-07-2022. Passed by the Hon'ble National green Tribunal (NGT), in the matter of OA no107/2022-Awdesh dikshit Vs union of India & ORS of National mission for Clean Ganga, Department of WR, RD&GR, Ministry of Jal Shakti, subsequent Hon'ble National Green Tribunal (NGT) order Dt. 10-03-2023.


(II)-National Framework for Sediment Management, Government of India, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation dated October 2022.

(III)-Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Notification New Delhi Dated 7th October, May be called as the River Ganga Rejuvenation, Protection and Management Authorities Order, 2016 and subsequent amendement.

EE 4-8

1
copy

बैठक संघन्यवाद समाप्त हुई।


26.12.2015

(ए०के० शर्मा)

मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो० (बाढ़)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०




(सोरण सिंह)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
(नियोजन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०



(अशोक कुमार सिंह)

प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०


26.12.2015

(संदीप कुमार)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०



(अनिल गर्ग)

प्रमुख सचिव
सिंचाई एवं जल संसाधन,
उत्तर प्रदेश शासन



(रामकेश मिश्रा)

मा० राज्य मंत्री, जल शक्ति



(स्वतंत्र देव सिंह)

मा० मंत्री, जल शक्ति

एवं

अध्यक्ष स्थायी संचालन समिति,
उ०प्र० राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद

प्रेषक,

मुख्य अभियंता, अनु० एवं नियो०(बाढ़)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ।
8. प्रमुख अभियंता, विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक /अनिमत्/यूनिट-8/रा०बा०नि०प०बै० 60वीं

लखनऊ दिनांक: 05 जनवरी 2025

विषय :- मा०मंत्री जी जल शक्ति तथा बाढ़ नियन्त्रण विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की दिनांक 12.12.2025 को सम्पन्न हुई 60वीं बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश, शासन के पत्र सं० -2383/2025/27-2099/99/2025 दिनांक 03.01.2026 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की दिनांक 12.12.2025 को सम्पन्न 60वीं बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है। कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

(अवधेश कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता
अनु० एवं नियो०(बाढ़)

पत्रांक:- /अनिमत्/यूनिट-8/रा०बा०नि०प०बै० 60वीं, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, जल शक्ति तथा बाढ़ नियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को मा० मंत्री जी के संज्ञान में लाये जाने हेतु।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, बाढ़ नियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को मा० राज्यमंत्री जी के संज्ञान में लाये जाने हेतु।

(अवधेश कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता
अनु० एवं नियो०(बाढ़)

पत्रांक:- अनिमत्/यू-8/रा०बा०नि०प०बै० 60वीं, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. अनु० सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के पत्र सं० -2383/2025/27-2099/99/2025 दिनांक 03.01.2026 के सन्दर्भ में।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।

3. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियंता (परि० एवं नियो०) को प्रमुख अभियंता (परि० एवं नियो०) महोदय के अवलोकनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियंता (परियोजना) को प्रमुख अभियंता (परियोजना) महोदय के अवलोकनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियंता (यांत्रिक) को प्रमुख अभियंता (यांत्रिक) महोदय के अवलोकनार्थ।

(अवधेश कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता
अनु० एवं नियो०(बाढ़)

पत्रांक:- 03 अनिमत्/यू-8/रा०वा०नि०प०बै० 60वीं, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त मुख्य अभियंता स्तर-1 (नियोजन/मध्य/नलकूप पूर्वक्षेत्र/पूर्व/रुहेलखण्ड/पश्चिम/दक्षिण/विन्ध्याचल/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०/लखनऊ /गोरखपुर /बरेली /मेरठ/झाँसी/प्रयागराज।
2. मुख्य अभियंता स्तर-2 (.....) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०.....।
3. अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।

संलग्नक: यथोक्त

Aw
05.01.2026
(अवधेश कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता
अनु० एवं नियो०(बाढ़)

05/01/26



Latitude: 29.355243
Longitude: 78.009367
Altitude: 187.5±11.3 m
Accuracy: 34.46 m
Time: 16-01-2026 12:52
Note: Budhi Ganga

Powered by NoteCam




Latitude: 29.35533
Longitude: 78.00918
Elevation: 256.16±10.3 m
Accuracy: 1.6 m
Time: 16-01-2026 12:54
Note: Budhi Ganga

Powered by NoteCam

DRAINAGE DIVISION-1, MEERUT

BUDHI GANGA SITE PLAN



938